न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 05/2018 अपील

1. भैराराम पुत्र जीवणराम जाति जाट, निवासी चार बत्ती के पास, कस्बा फतेहपुर, जिला सीकर –राजस्थान।
2. चिमनाराम पुत्र मालाराम जाति प्रजापत, निवासी मौहल्ला जती का बाड़ा, कस्बा फतेहपुर जिला सीकर– राजस्थान।

अपीलान्टस्

बनाम

1. नगरपालिका मण्डल फतेहपुर द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फतेहपुर।
2. अध्यक्ष, नगरपालिका मण्डल फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–
1. श्री सागर मल धायल अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस की ओर से।

अपील विरूद्व नामा. संख्या 4400 आज्ञा दिनांक 15.03.2011 द्वारा तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांकः 3।अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्टस ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

   1. कस्बा फतेहपुर की तन में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 625 क्षैत्रफल 3.33 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त आराजी शुरु से चारागाह रही है। तथा इसमें मवेशियों के पीने के पानी के लिये तलाई बनी हुई है। इस भूमि में फतेहपुर व आस–पास के गांव के पशु मवेशी चरते है तथा उक्त भूमि कदीम से इसी उपयोग उपभोग में चली आ रही है।

   2. उक्त भूमि रा. का. अधि. प्रभावशील होने के समय से चारागाह के रुप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इस भूमि के अलावा आस–पास अन्य कोई भूमि चारागाह के लिये नहीं है। चारागाह भूमि का अन्य किसी उपयोग उपभोग एवं निजी प्रयोजन के लिये किस्म आदि परिवर्तन किया जाना पूर्णतया वर्जित है लेकिन अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

साक्षी :–

हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार द्वारा अवैध व अनुचित रुप से चुनौतीग्रस्त नामान्तरण सख्या 4400 स्वीकृत कर उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के नाम अवशिष्ठ प्रबंधन हेतु गलत, अवैध रुप से गुपचुप रुप में दर्ज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वास पारित चुनौतीग्रस्त नामान्तरण आदेश विरुद्व विधि, विरुद्व तथ्य होने से स्थिर रहने योग्य नहीं है।

3. स्वीकृत एवं प्रमाणित रुप से प्रश्नगत भूमि चारागाह भूमि है। चारागाह भूमि विधिक रुप से अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जा सकती है। एक ओर जहां राज्य सरकार द्वारा गायों आदि की सुव्यवस्था के लिये 10 प्रतिशत राशि प्रत्येक स्टाम्पो पर वसूली जा रही है, दूसरी तरफ गायों व अन्य पशुओं आदि के चारागाह को खुर्द बुर्द करने के लिये चारागाह भूमि का अस्तित्व नष्ट किया जा रहा है, यदि इसी प्रकार चारागाह भूमि अन्य प्रयोजन के लिये परिवतर्तित कर दी जायेगी, तब चारागाह भूमियों का अस्तित्व नहीं रहेगा और मवेशी आदि शहर में प्रवेश कर अवारा घूमते रहेगें।

4. प्रश्नगत आराजी शुरु से चराई व पशुओं को बैठने ठहरने के उपयोग में आ रही है। कस्बा फतेहपुर व उसके आसपास के गांवों के मवेशी इसमें चरते व आराम करते है तथा इसमें बनी हुई तलाई में पानी पीते है। रेस्पोडेन्ट नगरपालिका के पास कस्बा फतेहपुर में अन्य कई भूमियां अवस्थित है।

5. सन् 1976 में इस भूमि को गलत व अवैध रुप से इसरराम पुत्र रुपाराम ब्राह्म्ण के नाम आंवटित कर दी गई, जिस पर कस्बावासियों द्वारा ऐतराज करने पर उक्त गलत आंवटन को निरस्त कर आराजी को यथावत चारागाह के रुप में दर्ज कर दी गई है ओर अब वर्षो पश्चात् अवैध व अनुचित रुप से चुनौतीग्रस्त नामान्तरण के माध्यम से रेस्पोडेन्ट के नाम अवशिष्ठ प्रबंधन हेतु विधि विरुध तरीके से आंवटित कर दी गई।

6. अपीलार्थीगण सहित कस्बा फतेहपुर एवं आस पास के गांवों के निवासियों को प्रश्नगत उक्त आराजी से मवेशियों को चराने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में भी चुनौतीग्रस्त नामान्तरण स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण के प्रश्नगत भूमि में प्रत्यक्ष हित निहित है। इस कारण अपीलार्थी के चुनौतीग्रस्त नामान्तरण आदेश के विपरीत अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है।

7. चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण आदेश जिला कलक्टर सीकर कथित आदेश दिनांकित 28.07.2010 की पालना में दर्ज करने का उल्लेख कॉलम संख्या 14 में पाये जाने पर इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये तत्काल दिनांक 03.01.2018 को ही आवेदन दिया गया, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद अभिलेख के अभाव में प्रमाणित प्रतिलिपि अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में अपने विधिक अधिकारों को

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

साक्षी :-

Scanned by CamScanner

सुरक्षित रखते हुए अपने मियाद अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रख यह अपील आपत्ति सहित प्रस्तुत की जा रही है।

8. दिनांक 29.12.2017 को रेस्पोडेन्ट दल बल के साथ प्रश्नगत भूमि पर आये तथा खुर्द बुर्द व निर्माण करने के गलत आशय से इसमें नींव आदि खुदवाना शुरु कर दिया, तब अपीलार्थी आदि द्वारा विरोध कर पूछताछ करने पर प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने नाम दर्ज होना कहा गया, इस पर अपीलार्थीगण को चुनौतीग्रस्त नामान्तरण की जानकारी हुई। जानकारी के पश्चात् से अपील अन्दर मियाद सादर पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त नामान्तरण संख्या 4400 आज्ञा दिनांक 15.03.2011 वाकै फतेहपुर निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त आराजी शुरु से चारागाह रही है तथा इसमें मवेशियों के पीने के पानी के लिये तलाई बनी हुई है। इस भूमि में फतेहपुर व आस–पास के गांव के पशु मवेशी चरते है तथा उक्त भूमि कदीम से इसी उपयोग उपभोग में चली आ रही है। इस भूमि के अलावा आस–पास अन्य कोई भूमि चारागाह के लिये नहीं है। चारागाह भूमि का अन्य किसी उपयोग उपभोग एवं निजी प्रयोजन के लिये किस्म आदि परिवर्तन किया जाना पूर्णतया वर्जित है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त नामान्तरण संख्या 4400 आज्ञा दिनांक 15.03.2011 वाकै फतेहपुर निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल ने लिखित बहस पेश कर अभिकथन किया कि उक्त अपील को सुनने का न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार नहीं प्राप्त नहीं है। क्योंकि जिस नामान्तरकरण के विरूद्व अपीलार्थी अपील प्रस्तुत की गई है, वह जिला कलक्टर सीकर के आदेश दिनांक 28.07.2010 द्वारा विवादित भूमि को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन करने के स्वीकृति आदेश के आधार पर दर्ज किया गया है। जिस अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया है उसी पद व अधिकारी द्वारा अपने ही आदेश के विरूद्व अपील सुनने का श्रवाधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिला कलक्टर सीकर द्वारा उक्त आवंटन राजकीय परिपत्र दिनांक 19.03.2006 एवं परिपत्र

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(प्रज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

साक्षा :- हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

दिनांक 06.01.2006 के नियमों के अधीन जारी किया गया है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण खसरा नम्बर 625 व 138 के सम्बन्ध में है। इन दोनों खसरों की नोमियत चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु होना अंकित है। अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र एक खसरा नम्बर 625 के आधार पर नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। आवंटन आदेश दिनांक 28.07.2010 में जिला कलक्टर सीकर द्वारा चारागाह व पानी तलाई हेतु खसरा नम्बर 1129 रकबा 2.24 हैक्टेयर को छोड़ा गया है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जावे।

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कस्बा फतेहपुर की तन में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 625 क्षैत्रफल 3.33 हैक्टेयर किस्म चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु का आवंटन कार्यालय जिला कलक्टर सीकर के आदेश पत्र दिनांक 28.07.2010 के आदेशानुसार किया गया है। जिसमें अंकित है कि –'' राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर से प्राप्त स्वीकृति की अनुपालना में कस्बा फतेहपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 138, 625, 1129, रकबा कमशः 2.64, 3.33, 2.24 हैक्टेयर किस्म बंजड़ जोहड़ में से खसरा नम्बर 1129 रकबा 2.24 हैक्टेयर को छोड़कर खसरा नम्बर 138 रकबा 2.64 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 625 रकबा 3.33 हैक्टेयर किस्म बंजड़ जोहड़ सम्पूर्ण कुल किता 2 रकबा 5.97 हैक्टेयर भूमि की किस्म खारिज कर अवशिष्ठ प्रबंधन हेतु नगर पालिका फतेहपुर को विभागीय परिपत्र दिनांक 06.01.2006 के तहत कीमतन आवंटन करने की स्वीकृति शर्तों पर प्रदान की जाती है।'' अतः तहसीलदार फतेहपुर द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 4400 दिनांक 15.03.2011 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

7. अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक :**31 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner